

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम ज हुकम की तारीख जारी हुए</p>
<p>13/5/16</p>	<p>प्राथी व अपकेवकील उपस्थित/ विपक्षी उपस्थित/ अदालत में प्रस्तुत आवेदन को लोक अदालत में रेफर करा गया है। अदालत का निर्णय: प्रकरण लोक अदालत में निपटारा किया जाता है। पक्षकारान द्वारांक 16/5/16 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)</p>	<p>वाद कार्रवाई समाप्त किये जाने के लिए।</p>
<p>16/5/16</p>	<p>पत्रावली आज न्याय आफिस के डार काम पचायत लोडियान फेर दुर्ग उन्होंने एक धर्पना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी ओर से प्रकरण में कोई कार्रवाई को दलील नहीं है। अतः प्रकरण पर कार्रवाई समाप्त की जावे। उन्होंने अपने जज फूड केश किए कि उनकी पहचान करपंच काम पचायत लोडियान के की व वाद कार्रवाई शेष किये जाके हेब ओडिशिक पर अदालत किया वादीगण डी जब कोई कार्रवाई नहीं चलने है तो कार्य में प्रकरा के लम्बित रखना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद कार्रवाई शेष की जाती है। मिलाव फैसल सुनार लेकर नम्बर से कर हो। वाद तबतक रुककर दायर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)</p>	<p>को वि कार्रवाई मोल्ड को वि अजमेर मसूदा</p>

